आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अनुलग्नक पी-1 और पी-2 पर विवादित अधिसूचना के संचालन पर वह न्याय के हित में रोक लगा दें।

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. बाली, अधिवक्ता आर.ए. यादव के साथ।

एस. वी. राठी, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

आदेश

(1) श्री बाली स्वीकार करते हैं कि उन्हें लागत प्राप्त हुई है।

(2) श्री राठी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से भी उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि वह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहले ही दाखिल किये गये उत्तर को स्वीकार करते हैं।

(3) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4(2) के तहत, नगरपालिका क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र का कोई भी निवासी, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन पर आपत्तियां उठाने का हकदार है। यहां याचिकाकर्ता खैरा गांव की ग्राम पंचायत है और वह कथित तौर पर नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव से व्यथित है। हमारे विचार में, ग्राम पंचायत, जो एक न्यायिक व्यक्ति है और प्राकृतिक नहीं है, को 'निवासी' नहीं कहा जा सकता है, ताकि नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के परिवर्तन के बारे में धारा 4(2) के तहत आपत्ति की जा सके। यह विशेषाधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों के पास है न कि पंचायत जैसे न्यायिक व्यक्तियों के पास।

इस कारण हम याचिका को तत्काल खारिज करते हैं।

एच.एन.आर

न्यायामूर्ति एस.एस. सोढ़ी, जे.

दर्शन कौर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

गुरदयाल सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

एस.एस. सोढ़ी, जे.

दर्शन कौर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

गुरदयाल सिंह और अन्य, -प्रतिवादी।

1988

का नागरिक संशोधन क्रमांक 1174

16 नवंबर, 1989.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)—धारा 47, आदेश 21, नियम 34

विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का निष्पादन – निर्णय-देनदार, नोटिस के बाद एक पक्षीय कार्यवाही – स्थानीय आयुक्त द्वारा वाद भूमि की बिक्री-विलेख निष्पादित करना – निर्णय-देनदार, उसके बाद, अलग करने के लिए धारा 47 के तहत आवेदन दाखिल करना।

यह माना गया कि जहां निर्णय-देनदार पंजीकृत विक्रय-विलेख पर अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, को बताने के लिए सामने नहीं आया है और न ही उसने निष्पादित विक्रय-विलेख की सामग्री के कारण उसे होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह के बारे में बताया है और जहां निर्णय-देनदार नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होता है और एकतरफा कार्रवाई की जाती है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 34 के प्रावधान, कि अदालत निष्पादित को बिक्री-विलेख का मसौदा तैयार करने के लिए कहेगी। निर्णय-

देनदार को अपनी आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए, यदि कोई हो, केवल निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए और उनके साथ गैर-अनुपालन न्यायालय के आदेश के तहत निष्पादित बिक्री विलेख को खराब नहीं करेगा।

(पैरा 4 और 5)

अधिनियम सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका 1976 में श्री एस. जे/डीएस-आक्षेपकर्ताओं और आपत्तियों को 13 मई, 1988 के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

दावा: विशिष्ट प्रदर्शन और निष्पादन कार्यवाही के लिए मुकदमा। पुनरीक्षण में दावा : -निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील एस.पी. जैन और वकील बी.एस. सोढ़ी।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एस. एम. शर्मा।

निर्णय

माननीय **एस.एस. सोढ़ी,जे**

(1) यहां मामला विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित है।

(2) **विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया था, निर्णय-देनदार को नोटिस दिया गया था। सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर ऋणी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद डिक्री धारकों के आवेदन पर, एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया जिसने उस भूमि से संबंधित एक बिक्री विलेख निष्पादित किया जो डिक्री का विषय था। इसके बाद निर्णय-देनदार ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक आवेदन दायर किया** और उक्त विक्रय पत्र को इस आधार पर रद्द करने की मांग की कि निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेज़ का मसौदा उसे नहीं दिया गया था और कोई अवसर नहीं था। प्रस्तावित विक्रय-पत्र पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी। यहां संदर्भ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 34 के प्रावधानों का है। यह आपत्ति ट्रायल कोर्ट में प्रबल हुई, जहां इन प्रावधानों को अनिवार्य माना गया और परिणामस्वरूप बिक्री-विलेख को अलग रखा गया और ड्राफ्ट-सेल डीड का नोटिस निर्णय-देनदार को देने का आदेश दिया गया।

(3) ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि डिक्रीधारक के खिलाफ इस मामले का शीर्षक पी. वेंकन्ना चेट्टी और अन्य बनाम बी. अप्पाराव नायडू (1) में आंध्र प्रदेश

के उच्च न्यायालय का फैसला था। जहां, यह माना गया कि आदेश 21 नियम 34 (3) के प्रावधान कि अदालत को बिक्री-विलेख के मसौदे पर निर्णय-देनदार की आपत्तियों पर विचार करना चाहिए, अनिवार्य थे। हालाँकि, इस निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि तथ्यों के आधार पर, यह वर्तमान मामले से स्पष्ट रूप से अलग है, इसमें निर्णय-देनदार को एक मसौदा विक्रय-पत्र भेजा गया था, जिसमें उसे आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए नोटिस दिया गया था, यदि कोई हो, इसे. निर्णय-देनदार ने इसके बजाय एक और मसौदा बिक्री-विलेख दायर किया। न्यायालय ने निर्णय-ऋणी की आपत्तियों पर विचार किए बिना डिक्री धारक द्वारा प्रस्तुत मसौदे को स्वीकार कर लिया। यदि इस संदर्भ में था, तो अदालत ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 34(3) के प्रावधान अनिवार्य थे। फलस्वरूप निष्पादन अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया और निचली अदालत को बिक्री-विलेख के मसौदे पर देनदार की आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले के विपरीत, यह ऐसा मामला नहीं था जहां नोटिस के बावजूद उपस्थित होने में विफलता के लिए निर्णय-देनदार के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही थी।

(4) यहां यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि निर्णय-देनदार पंजीकृत विक्रय-पत्र पर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, बताने के लिए सामने नहीं आया है और न ही उसने निष्पादित विक्रय-पत्र की सामग्री के कारण उसके प्रति हुए किसी पूर्वाग्रह के बारे में बताया है।

(5) वर्तमान जैसे मामले में जहां निर्णय-देनदार नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होता है और एकपक्षीय कार्रवाई की जाती है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 34 के प्रावधानों के अनुसार, अदालत बिक्री-विलेख का एक मसौदा तैयार करेगी। निर्णय-देनदार को उसकी आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए तामील किए जाने के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए, इसे केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए और उनके साथ गैर-अनुपालन अदालत के आदेशों के तहत निष्पादित विक्रय विलेख को तब तक ख़राब नहीं करेगा जब तक कि निर्णय-देनदार यह दर्शाने में सक्षम है कि विक्रय-पत्र का मसौदा उसे नहीं दिए जाने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ और इस प्रकार उसे इसके विरुद्ध अपनी आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया।

(6) इस प्रकाश में देखा जाए तो, ट्रायल कोर्ट का विवादित आदेश वास्तव में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। इस प्रकार यह संशोधन लागत सहित स्वीकार किया जाता है। वकील की फीस रु. 300.

आर.एन.आर

न्यायामूर्ति जे. वी. गुप्ता और

एम. एस. लिब्रहान, जे.जे.के समक्ष

नंद लाल शर्मा और

अन्य –याचिकाकर्ता.

बनाम

पंजाब

राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट

याचिका संख्या 8534

19

दिसंबर 1989.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14, 16(2) और 226-सिविल सेवा नियम, खंड I, पारे I-नियम 2.13, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.5-पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1982-धारा 82-तीसरा पंजाब वेतन आयोग, 1986 – खंड 14.18 से 14.20 – रिट क्षेत्राधिकार – परमादेश – मकान किराया भत्ता – ग्रामीण क्षेत्र भत्ता – सरकार एच.आर.ए. वापस ले रही है। वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर – नियुक्ति स्थान को भत्ते की स्वीकार्यता का आधार बनाया गया -शहर के 8 किलोमीटर के भीतर निवास की शर्त कर्मचारियों को एच.आर.ए. का अधिकार देती है। हटा दिया गया-ग्रामीण क्षेत्र भत्ता-एच.आर.ए. की वापसी। और परिणामी ग्रामीण क्षेत्र भत्ते का अनुदान – कार्यकारी निर्देशों के तहत भुगतान किया गया ऐसा भत्ता महज रियायत है – सरकार के पास इसे एकतरफा वापस लेने की शक्ति है – नीति में बदलाव – रियायत वापस लेने का मतलब सेवा की शर्तों में बदलाव नहीं है। - भत्ते के भुगतान का दावा नहीं किया जा सकता है रिट क्षेत्राधिकार—अनुच्छेद 226 के तहत रिट कायम रखने योग्य नहीं है-वापस लेने से भेदभाव नहीं होता है।

माना गया, मकान किराया भत्ता का भुगतान कार्यकारी निर्देशों के तहत किया जा रहा था, न कि किसी क़ानून के तहत। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा इसमें किए गए किसी भी बदलाव को रिट क्षेत्राधिकार में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं में कोई निहित अधिकार नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि आक्षेपित आदेशों द्वारा इसका उल्लंघन किया ।

पैरा-15

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) गुरूग्राम, हरियाणा